टिप्पणी

बालिका सशक्तिकरण में कमी क्या है ?

कृष्ण कुमार एवं
लतिका गुप्ता

शिक्षा में जेण्डर असंतुलन को सम्बोधित करने का सवाल स्कूलों में बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ाने के परे जाता है। इसके लिए उन गहरे मानसिक अवरोधों को हटाना होगा जो बालिकाओं को उनकी सीमित परम्परागत भूमिकाओं में जकड़े रखते हैं। यह आलेख कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क.गां.बा.वि.) की कार्यशैली पर चर्चा करते हुए उन समस्याओं को भी रेखांकित करता है जो उनके समग्र विकास में बाधक हैं। अगर हमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को ग्रामीण बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का दूसरा मौका देना है तो, उसकी कुछ त्रुटियों को सुधारना होगा।

शिक्षा में जेण्डर असमानता को हटाने का मसला स्कूल की चौहद्द में उनकी भौतिक मौजूदगी मात्र तक सिमटा नहीं है। जो बात महत्त्वपूर्ण है वह यह है कि स्कूली पढ़ाई की प्रक्रिया में उन्हें कितने किस्म के व कितने पुख्ता शैक्षिक अनुभव उपलब्ध हो पाते हैं, ताकि उनमें आत्म-विश्वास बढ़े, उनके कौशलों में इजाफा हो ताकि वे अपना भविष्य गढ़ सकें और समाज के संचालन में भागीदार बन सकें। बालिका शिक्षा के संदर्भ में यही सबसे कठिन चुनौती है।

यह चुनौती मांग करती है कि वयस्क मस्तिष्क में बालिकाओं की कुशलता व निर्णयकर्ताओं के रूप में आर्थिक श्रमबल में भागीदारी की उनकी क्षमताओं को लेकर जो गहरी मानसिक बाधाएं हैं, उन्हें लांघा जाए। ये मानसिक बाधाएं इतनी गहरे बैठी हैं तथा इतनी व्यापक हैं कि उन्होंने हमारी संस्कृति में एक मनो-सामाजिक आधार पा लिया है। ये मनो-बाधाएं सूक्ष्म तरीके से काम करती हैं और सीखने की प्रक्रिया के दौरान लिए गए प्रत्येक गौण या महत्त्वपूर्ण निर्णय के समय उभरती हैं, उन लड़कियों के मामलों में भी जो इन बाधाओं के बावजूद स्कूल पहुंची हों और वहां बनी रही हों। स्कूली पाठ्यचर्या में जो अधिक आसान विकल्प माने जाते हैं, जैसे मानविकी (ह्यूमैनिटीज), सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान तथा भाषाएं, ये विकल्प ही बालिकाओं को उपलब्ध हैं। गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा जीवविज्ञान तथा उनकी प्रयोगशालाएं बालिकाओं की मानसिक दुनिया से काफी दूर रहते हैं, गोकि कुछ लड़कियां विज्ञान की धारा में अपना नामांकन जरूर करवाती हैं। इसी प्रकार अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में भी उनके विकल्प नृत्य या गायन तक सीमित रहते हैं, बनिस्बत खेलकूद जैसी गतिविधियों के जिनमें व्यक्ति से शारीरिक क्षमताओं की मांग की जाती हो।

शिक्षा व्यक्तिगत विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों द्वारा किसी भूमिका विशेष को चुनने में वयस्कों की अपेक्षाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। माता-पिता व शिक्षक लड़कों की तुलना में लड़कियों से बहुत कम उम्मीदें रखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया से मात्र इतनी उम्मीद रखी जाती है कि समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप लड़कियां विवाह के लिए आवश्यक योग्यताएं पा लें। जब लड़कियां बड़े

लेखक परिचय :

कृष्ण कुमार : जाने-माने शिक्षाविद, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक

पुस्तक : राज समाज और शिक्षा, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, सोश्यल करेक्टर ऑफ लर्निंग, बच्चे की भाषा और अध्यापक, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद, मेरा देश तुम्हारा देश

लतिका गुप्ता : पी.एच.डी. के लिए अपना शोध कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में कर रही हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में कार्यरत

सम्पर्क :

एनसीईआरटी, श्री अरविन्दो मार्ग,
नई दिल्ली - 110016

होते समय इन अपेक्षाओं को आत्मसात कर लेती हैं, तो ये अपेक्षाएं ही उनके लिए, वयस्कों की अपेक्षाएं, मानसिक अवरोध बन जाती हैं। ये अवरोध उनके 'अस्मिता' की वृद्धि को रोकते हैं और यह भाव जगाते हैं कि उन्हें स्वयं अपने लक्ष्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। शिक्षा में ये मनो-अवरोध उतनी ही बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं, जितनी बड़ी चुनौती आधुनिक अर्थ व्यवस्था में भागीदारी के लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करना प्रस्तुत करता है। बालिकाओं को इन बाधाओं को पहचानने के बाद उन्हें लांघने में सक्षम बनाने का काम केवल बौद्धिक रूप से उत्तेजक बालशिक्षाशास्त्र ही कर सकता है, जो ज्ञान के संदर्भ में विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान सब पर लागू किया जाए। केवल जब स्कूली पाठ्यचर्या में सतत सावधानी बरती जाएगी तब ही हम बालिकाओं को इतना 'सशक्त बालिका' बना सकेंगे कि वे न केवल अपनी सम्भावनाओं को पहचानें बल्कि एक ऐसा उत्पादक जीवन चाहें जो हमारे समाज द्वारा परिभाषित परम्परागत भूमिकाओं तक सीमित न हो।

सांकेतिक न्यूनतावाद

मौजूदा शिक्षा नीति ने, चाहे अस्पष्ट रूप से ही सही, यह तो स्वीकार लिया है कि बालिका सशक्तिकरण की दरकार है। फलतः उनके सबलीकरण के कार्यक्रमों की एक बाढ़-सी आ गई है। इनमें से कई कार्यक्रम सशक्तिकरण को 'एक-बार' करने का काम मानते हैं। जो बालिकाएं शिक्षा के स्तर को सफलतापूर्वक पा लें उन्हें साइकिलें या कम्प्यूटर बांटना ऐसे ही कार्यक्रमों के उदाहरण हैं। बालिका शालाओं में शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लगातार प्रयास करने की तुलना में साइकिल या कम्प्यूटर बांटना कहीं ज्यादा आसान है। यह सच है कि ऐसे उपहार भी उनकी व्यक्तिगत क्षमता में इजाफा करते हैं परन्तु जेण्डर रिश्तों के संदर्भ में शैक्षिक नियोजन के समक्ष मुद्दों की जो प्रकृति व व्यापकता है उनसे निपटने के लिए ऐसे छोटे उपाय अपर्याप्त हैं। एक साइकिल पर आने वाले खर्च या उन्हें बांटी गई राशि को हमें बालिकाओं के सांस्कृतिक दमन तथा उनके शैक्षिक वंचन की पृष्ठभूमि में देखना होगा, जिसमें उनकी मूलभूत जरूरतों जैसे भोजन, चिकित्सा आदि में भी बचपन व किशोरावस्था में भेदभाव बरता जाता है।

अगर हम इस संदर्भ में रखकर साइकिल आदि के वितरण को देखें तो पाएंगे कि इसमें और अन्य तमाम नाम के वास्ते किए गए उपायों जैसे छात्रवृत्ति का वितरण, बैंक में उनके नाम से प्रतिमाह कुछ राशि जमा करवाना, फीस माफ करना या गणवेश या पाठ्यपुस्तकें बांटना आदि में कोई अन्तर नहीं है। ऐसे सभी प्रयासों को, चाहे वे कितने भी नेक इरादों के साथ क्यों न किए गए हों हमें सांकेतिक न्यूनतम के उदाहरण मानना होगा। समस्या की वास्तविक प्रकृति तथा व्यापकता जिसे इन उपायों द्वारा सम्बोधित करने की चेष्टा की जा रही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके कारगर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कई कार्यात्मक योजनाएं भी बालिका शिक्षा पर बल देने के लिए बनाई गई हैं। प्रारम्भिक स्तर पर प्रारंभिक बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) भी एक ऐसा ही कार्यक्रम है जो 21 जिलों के 61 शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम सितम्बर, 2003 में शुरू किया गया, इसमें प्रारम्भिक स्तर तक बालिकाओं की शिक्षा, खासतौर से प्रतिकूल स्थितियों में जी रहे समुदायों की बालिकाओं की शिक्षा के लिए, अतिरिक्त हिस्से जोड़े गए हैं, जैसे प्रत्येक संकुल स्तर पर एक आदर्श उच्च प्राथमिक शाला विकसित करना। इसमें कुछ भौतिक उत्प्रेरक भी हैं जैसे कॉपियां-स्टेशनरी मुहैया करवाना तथा पुरस्कार वितरण व उपचारात्मक शिक्षा व ब्रिज कोर्सेज का संचालन। एनपीईजीईएल के ये तमाम घटक सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न अंशों से भिन्न नहीं हैं। लगता यह है कि एक झोले में बिना किसी समग्र दृष्टि को अपनाए कई विचार डाल दिए गए हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

बालिका शिक्षा के इस परिदृश्य में एक अपवाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (केजीबीवी योजना) जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाई जा रही है। इस पर सर्व शिक्षा अभियान की कुल राशि का तकरीबन 7 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है। इस योजना के मूल में विचार यह है कि वंचित सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाली जो ग्रामीण बालिकाएं पांचवीं कक्षा तक या उससे आगे नहीं पढ़ पाई हों, उन्हें मुख्यधारा से जुड़ने का एक दूसरा मौका दिया जाए। इस दूसरे मौके में प्रारम्भिक शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय अर्थात् कक्षा 6 से 8 तक बालिकाओं को छात्रावास में रहने की सुविधा देना भी शामिल है। केजीबीवी योजना को वैधता मिलती है राष्ट्रीय नीति के दस्तावेजों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'जेण्डर गैप' की बहस से। इस दिशा को पकड़ने के बाद यह योजना उन शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में लागू की गई है जहां 'जेण्डर फासला' और चौड़ा है। जिन सामाजिक श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया है वे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक व गरीबी रेखा के नीचे जी रहे परिवार। योजना तीन प्रकार के मॉडल सामने रखती है। पहला जिसमें 100 बालिकाओं के लिए छात्रावास तथा स्कूल हो, दूसरा जिसमें यही सुविधा 50 बालिकाओं के लिए उपलब्ध करवाई जा रही हो तथा तीसरा जिसमें किसी मौजूदा उच्च प्राथमिक शाला के साथ 50 बालिकाओं के लिए एक छात्रावास जोड़ दिया जाए। क्योंकि सभी बालिकाएं प्राथमिक स्कूलों को छोड़ चुकी हैं (ड्रॉप आउट हैं) वे दस वर्ष या उससे अधिक आयु की हैं। नामांकन के

लिए योग्य वर्ग समूहों के बीच जागरूकता गतिविधियां भी आवश्यक हैं।

फिलहाल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 20 राज्यों में शैली व गुणवत्ता में भारी अन्तरों के साथ लागू की जा रही है। उदाहरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यकर्ताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों, मय महिला समाख्या द्वारा चलाए जा रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में काफी अन्तर है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि देशभर में चल रहे करीब 20 हजार ऐसे विद्यालयों में एक लाख से भी अधिक बालिकाएं पढ़ रही हैं। दो राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों तथा महिला सामाख्या के सदस्यों से हुए संपर्क-संवाद से हमें इस उत्साहजनक तथ्य का पता चला है कि माता-पिता अपनी बेटियों की प्रगति से प्रसन्न हैं, जो इस प्रचलित धारणा के विपरीत है कि ग्रामीण गरीब अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दाखिल होने के बाद बालिकाएं ब्रिज-कोर्स करती हैं ताकि वे वह ज्ञान व कौशल पा सकें जिनकी उन्हें छठी कक्षा की पढ़ाई के लिए जरूरत होगी। देश के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे ब्रिज कोर्स की अवधि तथा विषयवस्तु में यद्यपि काफी अन्तर है, परन्तु इन सभी में कुछ ऐसे घटक शामिल हैं जिनकी अधिकांश राज्यों की पाठ्यचर्या में उपेक्षा की गई है। इन घटकों को 'जीवन कौशल' के तले रख बालिकाओं के सशक्तिकरण की रणनीतियां अपनाई जाती हैं - जैसे व्यक्तिगत विकास, संप्रेषण क्षमता तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता।

उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश, जहां भारत में सबसे भारी जेण्डर-फासले के चलते 700 से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की योजना बनाई गई है, इनमें से 188 फिलहाल काम करने लगे हैं। महिला सामाख्या को इनमें से जो 27 विद्यालय आवंटित किए गए, उनमें से पांच विद्यालयों में हम स्वयं गए। हमारा जो अनुभव था वह सर्व शिक्षा अभियान के प्रबोधन दलों के समान था कि महिला सामाख्या द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की कुछ विशेष उपलब्धियां इसलिए सम्भव हुई हैं क्योंकि महिला सामाख्या को कानूनी व आर्थिक हस्तक्षेपों द्वारा ग्रामीण महिलाओं को उत्प्रेरित करने का अच्छा-खासा अनुभव रहा है। विद्यालयों के लिए शिक्षिकाओं के चयन तथा उनके अभिमुखीकरण में भी महिला सामाख्या ने राज्य समर्थित गैर-सरकारी संगठन के रूप में अर्जित अपनी ऊर्जा लगाई है। हमारा कयास यह है कि ऊर्जाओं का यह संयोग मात्र महिला सामाख्या की खासियत के कारण नहीं है; साथ ही अन्य राज्यों में महिला सामाख्या द्वारा चलाए जा रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश की तरह का उम्दा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। हमें लगता है कि एक सामाजिक शक्ति व विचारधारा के रूप में नारीवाद ने कई गैर-सरकारी संगठनों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में असामान्य ऊर्जा लगाने को प्रेरित किया है। ऐसी ऊर्जा के श्रेष्ठतम उदाहरण हमें उत्तरप्रदेश में महिला सामाख्या द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नजर आते हैं यही ऊर्जा पाठ्यचर्या के सशक्तिकरण पक्षों में अभिव्यक्ति पाती है। ये पक्ष बालिकाओं की अकादमिक व शैक्षिक उपलब्धियों में भी स्पष्ट नजर आते हैं। और यहीं केजीबीवी योजना में महत्त्वपूर्ण अवधारणात्मक कमी है जिस पर ध्यान दे उसे बेहतर नीति तथा वित्त द्वारा पूरी करने की आवश्यकता है।

केजीबीवी योजना ने जो विशेष प्रयास किया है, वह है बालिका शिक्षा पर केंद्रित ध्यान देने का। परन्तु यह योजना राज्य की पाठ्यचर्या नीति व खराब गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों के अपरिवर्तित वातावरण में ही लागू की जा रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा : 2005 अधिकांश राज्यों में अब भी लागू नहीं हो सकी है। इसका अर्थ है कि स्कूली ज्ञान और शिक्षार्थियों के जीवन व उनकी आवश्यकताओं के बीच जुड़ाव न होने की समस्या शेष स्कूलों की तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी नजर आती है। सीखने का उबाऊ और दमघोंटू माहौल अनावश्यक रूप से भारी-भरकम पाठ्यक्रम को और बोझिल बनाने का काम घटिया शिक्षण करता है, जिससे प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ जाने की दर बढ़ती है। इसी कारण तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की जरूरत पड़ी थी। पर दुर्भाग्य से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी ठीक उसी पाठ्यचर्या को पढ़ाने की मजबूरी है जिसमें बालिकाओं के जीवन और उनके विकास में शिक्षा की भूमिका की कोई दृष्टि या समझ है ही नहीं।

नियोजन व प्रावधान

छितरे-बिखरे सरकारी अनुदान के जंगल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की मौजूदगी यह तो बताती है कि गरीबतम ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा पाने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें दूसरों से भिन्न पहचान लिया गया है। फिर भी समाधान की अवधारणा गढ़ने और उसके लिए वित्तीय प्रावधान करने में गम्भीर सीमाएं हैं। इन सीमाओं को पहचानने के लिए हमने केजीबीवी स्कूलों के बजट की तुलना 1980 में शुरू किए गए और अब पूरी तरह स्थिर हो चुके नवोदय विद्यालय योजना के साथ करने का निर्णय लिया। हम जानते हैं कि इस तुलना को अनुचित भी माना जा सकता है क्योंकि नवोदय विद्यालय योजना उन ग्रामीण बच्चों के लिए है जिन्हें एक खुली स्पर्धा द्वारा चुना जाता है और तब वित्तीय सुविधाओं से लैस सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'पब्लिक' स्कूल (नवोदय विद्यालय) में भेजा जाता है। जबकि कस्तूरबा

गांधी बालिका विद्यालय प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देने वाली बालिकाओं के लिए बनाए गए हैं। पर इस तुलना के पीछे हमारा तर्क दोहरा है। पहला यह कि कस्तूरबा विद्यालयों की बच्चियों को हम ऐसी बालिकाएं मान सकते हैं जिन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने का अवसर ही नहीं दिया गया। अवसर न मिल पाने की बात को हमें उस सामाजिक-सांस्कृतिक दुनिया के संदर्भ में समझना होगा जिससे वे आती हैं, साथ ही हमें उनके भविष्य व स्थिति के प्रति व्यवस्था की उदासीनता के संदर्भ में भी इसे देखना होगा। दूसरे केजीबीवी योजना तथा नवोदय विद्यालय योजना की तुलना हमें संभवतः उन पक्षों को रेखांकित करने का अवसर देगी कि शिक्षा नीति राजकीय प्रावधानों का उपयोग करने की ग्रामीण समाज की क्षमता में मौजूद अंतरों से कैसे निपटती है। नीचे जो तालिका दी जा रही है वह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बजट के साथ नवोदय विद्यालय के बजट व विभिन्न नियोजन मदों को दर्शाती है।

तालिका : केजीबी विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालय के बजट

बजट मद	केजीबी स्कूल, 100 बालिकाओं तथा शिक्षिकाओं का छात्रावास (स्वीकृत राशि)	नवोदय (240 छात्र व स्टाफ) (स्वीकृत राशि)
निर्माण	रु. 38,75,000 भवन+चारदीवारी+बोरिंग +हैण्डपम्प, बिजली। इकाई लागत : रु. 38,750	रु. 12,00,00,000 दो किस्तों में, 14 कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम, प्राचार्य, उप–प्राचार्य के कक्ष, प्रयोगशालाएं, 3 शयन कक्ष, 23 शिक्षक आवास, रसोई, भोजन कक्ष, खेल मैदान, पानी, सीवरेज, बिजली, परिसर की सड़क। इकाई लागत : रु. 5,00,000
उपकरण	रु. 3,00,000 फर्नीचर व रसोई उपकरण	रु. 6,75,000 फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण, अन्य उपकरण
बिस्तर	एकमुश्त : रु. 75,000 : आवर्ती : रु. 40,000 (विस्तृत सूचना नहीं दी गई) इकाई लागत : रु. 400	एक मुश्त : रु. 1,29,600, आवर्ती : रु. 1,56,000, गद्दे, रजाइयां, चद्दरें, तकिए, गिलाफ, खेस, मच्छरदानी, दो तौलिए। इकाई लागत : रु. 650
स्कूल गणवेश	अलग से कोई प्रावधान नहीं	गर्मी : इकाई लागत : रु. 1,250 सर्दी : इकाई लागत : रु. 1,550
रख रखाव	रु. 40,000 प्रति वर्ष (विस्तृत विवरण नहीं) इकाई लागत : रु. 400	रु. 1,56,000 प्रति वर्ष नहाने, कपड़े धोने के साबुन, मंजन, ब्रश, जूते की पॉलिश, बाल कटाई, धुलाई व इस्तरी, बालों का तेल। इकाई लागत : रु. 650
चिकित्सा देखभाल/ आकस्मिक व्यय	रु. 75,000 प्रति वर्ष चिकित्सक का प्रावधान नहीं (कोई विस्तृत जानकारी नहीं) इकाई लागत : रु. 750	रु. 2,54,800 प्रतिवर्ष चिकित्सा व्यय, यात्रा खर्च, नौ माह के लिए चिकित्सक। इकाई लागत : रु. 1,117

ये आंकड़े नवोदय विद्यालय समिति की 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन से तथा केजीबीवी के संशोधित दिशानिर्देश जो अप्रैल 1, 2008 से प्रभावी हैं तथा मानव संसाधन व विकास मंत्रालय से जारी किए गए हैं, से संकलित किए गए हैं।

कमियां

तालिका से स्पष्ट है कि न केवल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को हरेक मद पर कम पैसा उपलब्ध करवाया जाता है, बल्कि तमाम ऐसे मद भी हैं जिनके नाम पर कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, प्रयोगशाला के उपकरण, स्कूल गणवेश तथा गर्म कपड़ों का प्रावधान कस्तूरबा विद्यालयों के लिए नहीं किया गया है। नवोदय विद्यालय के स्तम्भ में जो बारीकियों का उल्लेख है वे दर्शाते हैं कि बढ़ते बच्चों की जरूरतों का अनुमान लगाने की काफी सुविचारित योजना है। बीमार पड़ने पर आपात स्थिति में बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए यात्रा व्यय और गर्म कपड़ों व सूती मोजों का जिक्र दर्शाता है कि एक आवासीय शाला में बच्चों के जीवन की खासी समझ के साथ बजट बनाया गया है। पर ठीक यही पक्ष कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नियोजन में पूरी तरह गायब है, जबकि ये शालाएं वंचित पृष्ठभूमि से आनेवाली लड़कियों के लिए हैं जिनकी जरूरतें नवोदय विद्यालय के बच्चों से कहीं अधिक हैं जो ज्यादातर सम्पन्न ग्रामीण तबकों से आते हैं। नवोदय विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक अधिक योग्यता वाले हैं, वे सेवारत रहते हुए कई प्रशिक्षणों में भाग लेते हैं और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान पाते हैं। नवोदय विद्यालय संगठन देश के कई अग्रणी संस्थानों के सहयोग से सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करता है, जिनमें से कुछ हैंः भारतीय प्रबंध संस्थान (आई आई एम) अहमदाबाद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय व विदेशी भाषा परिषद (सीआईएफएल), हैदराबाद व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक इसके विपरीत अर्ध-शिक्षक (पैरा टीचर) हैं जिनके लिए कोई स्थायित्व नहीं है; यदा-कदा उनके लिए भी कुछ प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जो अमूमन इतने सामान्यीकृत होते हैं कि यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि शिक्षिकाओं में बच्चियों की शैक्षणिक जरूरतों की समझ बढ़ सकेगी। उनका वेतनमान बेहद कम है और उन्हें वे सामान्य लाभ भी नहीं मिलते जो आम सरकारी स्कूली शिक्षकों को उपलब्ध हैं। दिन भर पढ़ाने के बाद उनसे बालिकाओं की देखभाल करने की उम्मीद तो रखी जाती है पर उनके आवास का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। चार-पांच शिक्षिकाएं एक कमरे में रहती हैं जो दिन में स्टाफ रूम में तब्दील हो जाता है। और जिन कमरों में बालिकाएं रात को ठुंस कर सोती हैं वे कक्ष दिन में कक्षा-कक्षों में रूपान्तरित किए जाते हैं।

केजीबीवी योजना की यह उदास करने वाली वास्तविकता असामान्य नहीं है। समाज के गरीब तबकों के बच्चों के लिए बनाई

गईं अधिकांश योजनाओं में हमें ठीक ऐसा ही न्यूनतम उपलब्ध करवाने का अभिमुखीकरण मिलेगा। उनका स्वरूप जीवन की बुनियादी जरूरतों के अनुमान में इतना कमजोर होता है कि वे संगठित दान से बेहतर नहीं कहला सकतीं। यह मान कर चला जाता है कि पाने वालों को जो दिया जा रहा है उन्हें उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। केजीबीवी योजना में जो समझौते किए गए हैं वे काफी पैने हैं। कहने को तो साफ-सफाई व अच्छा स्वास्थ्य इस योजना के केंद्र में हैं पर अधिकांश कस्तूरबा विद्यालयों में 80-100 लड़कियों के बीच तीन से पांच शौचालय होते हैं। इंसानों और शिक्षार्थियों के रूप में बालिकाओं/किशोरियों की समझ इस योजना के नियोजन में पूरी तरह नदारद है।

केजीबीवी योजना की सबसे भारी नीतिगत कमी है बाल शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के प्रति उदासीनता। यह कमी संस्थागत कार्यकुशलता के श्रेष्ठतम उदाहरणों तक में नजर आती है। शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक संसाधनों के लिए किए गए प्रावधान इस लक्ष्य की उपेक्षा करते हैं कि समाज के सबसे दमित और वंचित तबके की बालिकाओं को एक दूसरा, पुख्ता अवसर हमें उपलब्ध करवाना है। योजना यह मान कर चलती है कि बालिकाएं इतनी सक्षम हैं कि वे सामूहिक व व्यक्तिगत स्तर पर संसाधनों व औपचारिक शिक्षण से वंचित रहने के बावजूद इस स्थिति से निपट लेंगी। इस धारणा व प्रावधान के बीच एक विशाल नीतिगत विडंबना खड़ी है।

व्यवस्थागत संकट

अपनी समस्त संभावनाओं को हासिल करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को ढेरों कुशल व संवेदनशील शिक्षिकाओं की आवश्यकता होगी, जो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या के ज्ञान की सभी विधाओं के साथ न्याय कर सकें। कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं बचपन के सालों में जो भी वंचनाएं झेल चुकी हों, उनकी आपूर्ति इन विद्यालयों में दाखिल होने के बाद होनी चाहिए। 'कुशल' का अर्थ होगा कि शिक्षिकाओं में उच्च प्राथमिक स्तर के ज्ञान से निपटने की क्षमता हो तथा 'संवेदनशील' का मतलब होगा कि वे ग्रामीण किशोरियों के वंचन से तथा ग्रामीण परिवेश में जेण्डर मुद्दों के प्रति जागरूक हों, उनकी समझ हो और वे उन्हें सही संदर्भ में रख सकें। यद्यपि अच्छे विज्ञान और गणित शिक्षकों का अभाव आज सब स्वीकारते हैं, पर ढंग से अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान (जिसमें इतिहास, भूगोल तथा सामाजिक-राजनीतिक जीवन - जिसे पहले नागरिक शास्त्र कहा जाता था) पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं की समस्या भी है। दुर्भाग्य से बालिकाओं की शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान को केवल जेण्डर सशक्तिकरण के संकरे नजरिए से देखा जाता है, न कि सभी विषयों में अकादमिक मजबूती की आवश्यकता के व्यापक नजरिए से। यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों पर भी लागू होता है। सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय प्रबोधन दल या मिशन ने भी कुशल व संवेदनशील शिक्षिकाओं की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) तथा बाद में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूली शिक्षा के विस्तार ने देश भर में शिक्षकों की उपलब्धता, उनकी गुणवत्ता व प्रशिक्षण के संकट को उजागर और रेखांकित किया है। नीतिगत प्रतिक्रिया कुछ व्यक्तियों या गैर-सरकारी संगठनों, जिसके तहत स्वैच्छिक से लेकर दाता संस्थाओं द्वारा प्रेरित प्रयास शामिल हैं, से मदद चाहने की रही है। ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं की संख्या बेहद कम है जिन्होंने संस्थागत क्षमता का उदाहरण या मानक प्रस्तुत किया हो। दूसरी ओर स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद शिक्षकों के प्रशिक्षण का जो औपचारिक संस्थागत ढांचा है, जिसमें लम्बे समय के लिए सरकारी वित्त निवेश किया जाता है, ने गुणवत्ता में इजाफे या विस्तार के कोई संकेत नहीं दिए हैं। बल्कि साक्ष्यों के आधार पर कहा यह जा सकता है कि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान, डीपीईपी या सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के कारण हो रहे बदलावों से अलग-थलग और कटे रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शिक्षक-प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) से सहयोग मिल रहा है परन्तु इनमें से दोनों ही संतोषप्रद नहीं हैं। यह कहना कि यह कमी केवल कुछ ही विषयों तक सीमित है दरअसल शिक्षण की अवधारणा और शिक्षक-प्रशिक्षण में व्यावसायिकता लाने की जरूरत की उपेक्षा करना है, वह भी 'शिक्षक सशक्तिकरण, या 'मौजमस्ती के साथ सीखना' जैसे जुमलों की आड़ लेकर।

गोकि वर्तमान में केजीबीवी योजना को जो संसाधन उपलब्ध हैं - अर्थात् गैर-सरकारी संगठन व डाइट - दोनों पर ही सतत ध्यान दिया जाना चाहिए पर साथ ही हमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की शिक्षिकाओं के क्षमतावर्धन के लिए उन स्रोतों को भी टटोलना चाहिए जिन पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया। ये संसाधन हमें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मिलेंगे और वह भी केवल शिक्षा विभागों में ही नहीं, बल्कि अन्य प्रासंगिक विभागों में भी। यह संसाधन देश भर में अनछुआ पड़ा रहा है, यद्यपि आज से 40 से भी अधिक वर्ष पूर्व कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में विश्वविद्यालयों की प्रमुख भूमिका की परिकल्पना की थी और चाहा था कि स्कूली शिक्षकों को पाठ्यचर्या के सभी विषयों में उनका सहयोग मिल सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संदर्भ में इस दिशा में एक शुरुआत की जा सकती है।

जटिलताएं

प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनीन बनाने का लक्ष्य हासिल करने में केजीबीवी योजना को एक 'स्टॉप ओवर' योजना की तरह देखा गया है। इस दृष्टि के पीछे जो तर्क है वह उतना ही सरलीकृत है जितनी यह व्यापक धारणा कि सर्व शिक्षा अभियान ने सभी बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का लक्ष्य तो हासिल कर लिया है और अब अगले चरण के लिए अतिरिक्त शिक्षकों को चुन लिया गया है और उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि दाखिल बच्चों को स्कूलों में टिकाए रखा जा सके और उनकी उपलब्धियों का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। ऐसी धारणाएं बालिका शिक्षा से जुड़ी पेचीदगियों तथा वर्ग, जाति व धार्मिक-सांस्कृतिक घटकों के साथ के उनके जुड़ावों को नजरअंदाज करती हैं जो बालिकाओं के जीवन को नियामित करती हैं। कोई भी शैक्षिक अवसर लड़कियों को स्कूल लाने और उन्हें वहां टिकाए रखने तक सीमित नहीं किया जा सकता। किसी लोकतंत्र में शिक्षा का लक्ष्य होता है बच्चों को संवेदनशील और जवाबदेह नागरिकों के रूप में राजकाज में भागीदारी करने के अधिकार को पाने में इतना सक्षम बनाना कि वे अपने व्यक्तिगत भाग्य को भी आकार दे सकें। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक व गरीबों के अन्य समूहों के लिए यह लक्ष्य हासिल कर पाना बेहद कठिन है। और इन समूहों की बालिकाओं के लिए तो हरेक लड़ाई, प्रत्येक संघर्ष दो तरफा बन जाता है। उन्हें न केवल अपने समुदाय की सामान्य वंचित होने की स्थिति झेलनी पड़ती है बल्कि साथ ही उन नकारात्मक व दमनकारी ताकतों से भी जूझना पड़ता है जो हमारे समाज में हरेक बालिका के सामने होते हैं। ग्रामीण परिवेश से आने वाली बालिकाओं के सशक्तिकरण के किसी भी गम्भीर प्रयास में उन्हें इन दोनों ही लड़ाइयों को कारगर रूप से लड़ने में सक्षम बनाना होगा। उनसे किया जाने वाला भेदभाव और उनके शोषण के प्रति जागरूक बनाना भर नाकाफी होगा। नीति-निर्माताओं और शिक्षा देने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दमन के दुष्चक्र को तोड़ सकने वाली प्रक्रिया को यहीं से शुरू किया जा सकता है। ऐसा कर पाने के लिए न केवल सशक्त करने वाले वातावरण की दरकार होगी वरन पाठ्यचर्या में उपलब्ध सभी विषयों को समेटने वाले शिक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं को दिया गया दूसरा मौका उस स्थिति में निरर्थक सिद्ध होगा जब व्यवस्था उन्हें आवश्यक कौशल, औजार और मनो-सामाजिक आदतें न दे सके जो सशक्तिकरण को टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी हों। पुख्ता अकादमिक प्रशिक्षण के अभाव में उनके ताजा-ताजा बने आत्म-सम्मान को उस वक्त जबरदस्त झटका लग सकता है जब वे ऊपर की ओर बढ़ने और अपने सामाजिक स्तर को सुधारने की स्पर्धा में असफल रहें।

अनावश्यक शंकाएं

अक्सर यह सरोकार अभिव्यक्त किया जाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्ग की लड़कियों का झुण्ड एक 'घेट्टो' का निर्माण करेगा। इस तर्क का सावधानी से विश्लेषण करना जरूरी है। अगर 80 या 100 लड़कियां कुछ साल एक साथ रहें तो क्या वे 'घेट्टो' बना सकती हैं, और अगर हां तो इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं ? इस संदर्भ में 'घेट्टो' शब्द का उपयोग संभवतः सही नहीं है। इसका उपयोग प्रतीकात्मक रूप में उस भौगोलिक स्थान के लिए किया जाता है जहां एक ही तरह के लोग ठुंसे हों। शब्द का शास्त्रीय अर्थ शहर के उस हिस्से से है जहां अल्पसंख्यक इसलिए रहते हों क्योंकि ऐसा करने का सामाजिक, आर्थिक या कानूनी दबाव उन पर हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यह संकेत देते हैं कि उनकी छात्राएं विविध पृष्ठभूमि से आती हैं और उनमें जो बात समान है वह है उनकी गरीबी। इन विद्यालयों की 75 फीसदी छात्राएं अजा, जजा, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक समुदायों से दाखिल की जाती हैं और शेष 25 प्रतिशत सामान्य गरीबी रेखा के नीचे जी रहे चयनित परिवारों से। इन छात्राओं के जनसांख्यिकी छवि से साफ लगता है कि उनके पास विविध अनुभवों का भारी संसाधन मौजूद है। अनुसूचित जाति के व्यापक छत्र के तहत ही कई समुदाय हैं। यह भी अब एक स्वीकृत तथ्य है कि एक ही इलाके में निवास करने वाले विभिन्न आदिवासी समूहों में भी तमाम अन्तर होते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक मान्यताएं भी उपरोक्त दोनों समूहों से भिन्न हैं। अन्य पिछड़े वर्ग कहते ही हमें उनकी विविधता का आभास हो जाता है। और यह तथ्य उस पृष्ठभूमि से आनेवाली लड़कियों के अनुभवों की विविधता का संकेत भी देता है।

कुछ लोग इस तथ्य को भी चुनौती देते हैं कि बालिकाओं को उनके घर और परिवेश से इतनी दूर आवासीय शिक्षण की परिस्थिति में लाया जाता है जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को उनके घर-परिवार व परिवेश से काटता है। नई स्थिति में ढल पाने की और लौटने पर परिवार में वापस सहजता से घुलमिल जाने की उनकी क्षमता पर भी तमाम शंकाएं उठाई जाती हैं। ये शंकाएं बालिकाओं, खासकर गरीबतम बालिकाओं के संदर्भ में एक खास अर्थ ग्रहण कर लेती हैं। इस तर्क को ग्रामीण बालिकाओं के शिक्षण के उद्देश्य के साथ रखकर तोलना चाहिए। शिक्षा को उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि वे खुद को उन सामाजिक आचरणों से दूर कर सकें जो न केवल निन्दनीय हैं बल्कि गैर-कानूनी भी हैं। ऐसा ही एक सामाजिक आचार है बाल-विवाह। बालिकाओं को घर से दूर ले जाना एक अच्छा विकल्प इसलिए भी है क्योंकि इससे उन्हें यात्रा करने, दूसरों से मिलने-जुलने, उनके साथ रहने का मौका मिलता है,

जो अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव है। साथ ही इससे वे बाल-विवाह का एक और हादसा बनने से भी बच जाती हैं। तीन साल के लिए घर से दूर रहने का अनुभव उन्हें खुद स्थितियों को झेलने का आत्म-विश्वास प्रदान करने की क्षमता भी रखता है, यह ऐसी बात है जो शहरी परिस्थितियों में जी रहे परिवार भी लड़कियों को बिरले ही दे पाते हैं। परिवारों में सामाजीकरण का प्रधान तरीका है लड़कियों को हमेशा दूसरों निर्भर रहना सिखाना। छोटी उम्र में छात्रावासों में रहने के निहितार्थ पर नीतिगत बहसों का इतिहास लम्बा रहा है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उन बच्चों को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाने का ताजा उदाहरण है जो ऐसी सामाजिक परिस्थितियों से आते हैं जो उनके लिए प्रतिकूल हों।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भविष्य

पूर्व की कुछ योजनाओं की तरह ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भी इस प्रश्न का सामना कर रही है कि उनके लाभार्थियों का भविष्य क्या होगा। अगर योजना वास्तव में शैक्षिक अवसरों में समानता लाने का लक्ष्य लेकर बनाई गई है तो यह समझ लेना होगा कि कक्षा आठ का स्तर समापन बिन्दु नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की दृष्टि से भी यह समापन बिन्दु नहीं हो सकता। विपन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली प्रतिकूलताओं को झेलती ग्रामीण बालिकाओं की इस अनोखी व अभूतपूर्व योजना को स्वयं को अधिक महत्त्वाकांक्षी व दूरगामी दिशादृष्टि के साथ बनाना होगा जो केवल हाथ थामने तक सीमित न रह कर उन बालिकाओं को एक ठोस शैक्षिक आधार दे जो बेहद नाजुक या संवेदनशील स्थिति से आती हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सामाख्या ने जो उदाहरण रखा है उसमें केजीबीवीएस के प्रति एक गहन जिम्मेदारी का भाव पनप सका है, इसे आगे और पनपने का एक वास्तविक अवसर दिया जाना चाहिए इन बालिका विद्यालयों को केवल दसवीं या बारहवीं कक्षा तक पदोन्नत कर ही नहीं बल्कि महिला सामाख्या के स्वयं के संस्थागत सुदृढ़ीकरण के अर्थ में भी।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की दृष्टि से योजना के निहित लाभों को केवल शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि अधिक व्यापक 'जीने के अधिकार' के संदर्भ में देखना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली ग्रामीण बालिकाओं को परिवार, जाति व सामाजिक पदसोपान के संदर्भ में जो स्थान उपलब्ध है, केवल शैक्षिक अवसरों के अर्थ में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक अर्थों में भी बेहद सीमित-संकुचित है। उदाहरण के लिए स्कूली शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति या मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं को अपनी बुनियादी सम्भावनाओं को पाने के लिए जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है उनसे निपटने के लिए सशक्तिकरण की फौरी रणनीतियां नाकाफी हैं। उन्हें स्पर्धात्मक गुणवत्ता वाली समग्र शिक्षा की जरूरत है।

नवाचार युक्त योजना

केजीबीवी योजना एक नवाचार का प्रतिनिधित्व करती है, इस अर्थ में कि योजना उन छात्राओं को स्कूली व्यवस्था में वापस लाने का प्रयास करता है जो पहले उसी व्यवस्था के बाहर कर दी गई थीं। यह तथ्य कि भारत को व्यवस्थागत विकास के मौजूदा चरण में आज भी कस्तूरबा विद्यालय जैसी किसी योजना की जरूरत है, यह दर्शाता है कि व्यवस्था को उस स्थिति में अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नई क्षमताएं विकसित करनी होंगी जो ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व हैं और जो शैक्षिक अवसरों को सार्वजनीन बनाने के संघर्ष से उपजी हैं। जैसा हम पहले भी संकेत दे चुके हैं नवोदय विद्यालय योजना हमें एक स्वाभाविक संदर्भ उपलब्ध करवाती है जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को देखा जा सकता है। जो ग्रामीण बच्चे ग्यारह वर्ष की आयु में किसी खुली स्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं, वे जाहिराना तौर पर समाज के वंचित तबके के नहीं हो सकते। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बच्चियां ठीक इसी श्रेणी की हैं। उन्हें ऐसे बच्चों के रूप में देखा जाना चाहिए जिनकी नवोदय विद्यालय में दाखिला की खुली स्पर्धा में भाग लेने के अवसर दो सामाजिक तथ्यों के कारण फिलहाल अवरुद्ध हैं। एक तो वे समाज के नितान्त शोषित वर्ग की हैं, दूसरे वे लड़कियां हैं। इन दो सामाजिक तथ्यों का मिश्रित प्रभाव उन्हें इस स्पर्धा के लिए अयोग्य बनाता है जिसमें मौजूदा नीति के तहत प्रत्येक जिले से मात्र 80 बच्चों को नवोदय विद्यालय में दाखिल किया जाता है। अगर हमारे तर्क की दिशा सही है तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को नवोदय विद्यालय योजना को फैलाने के लिए एक संस्थागत उपचारात्मक या सहयोगी उपाय के रूप में देखना चाहिए ताकि समता व सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक वैध संस्थागत तरीका स्थापित किया जा सके। इस दृष्टि से देखें तो नवोदय तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के बीच के अन्तर हमें न्यायसंगत नहीं लगते।

अनुसूचित जाति की ग्रामीण बालिकाओं का सही एजेण्डा तब तक नहीं बनाया जा सकता, जब तक हम ऐतिहासिक रूप से उन पर ला दी गई वंचानाओं और संस्थागत आधिपत्य पर भी गौर न करें। 'अधिकारों' पर केंद्रित एवं बेहद संक्षिप्त शैक्षिक अनुभव उन्हें 'नाम के वास्ते' राहत देने से अधिक कुछ नहीं कर सकता। अकादमिक रूप से पुख्ता पाठ्यचर्या तथा व्यापक व्यवस्था के साथ

मजबूत संस्थागत जुड़ाव की जरूरत केजीबीवी योजना को होगी। अगर उनमें पढ़ने वाली बालिकाओं को हम आठवीं कक्षा के बाद उनकी राह ताक रहे फंदों या जालों से बचाना चाहते हैं फिर चाहे वे मुख्यधारा की व्यवस्था में जुड़ी भी रहें (इसी मुख्यधारा ने उन्हें पहले भी निकाल बाहर किया था) या फिर वे औपचारिक शिक्षा से कट जाएं।

नवोदय विद्यालय का छत्र कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को अनुसूचित जाति की शोषित पृष्ठभूमि से आनेवाली अन्य छात्राओं के लिए बालिका शिक्षा के एक आदर्श मॉडल के निर्माण का वादा करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 6,000 आदर्श सैकेण्डरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। अतः अब प्रत्येक जिले में एक-एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को हायर-सैकेण्डरी स्तर तक क्रमोन्नत कर देना चाहिए तथा उसके प्रबन्धन की जिम्मेदारी नवोदय विद्यालय समिति को सौंप देनी चाहिए। पहले चरण में, अर्थात् 2008-09 में, शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों को चुना जा सकता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के काल में क्रमशः सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं के विकास के आड़े आने वाली उन व्यवस्थागत असंगतियों व सांस्कृतिक बाधाओं को सम्बोधित करने का एक सामयिक प्रयास है। यह योजना उस महिला के नाम व उसकी थाती को भी साथ लेकर चलती है जिन्होंने एक जकड़ी व बन्द सामाजिक व्यवस्था में कई बुनियादी मुद्दों का सामना किया था। कस्तूरबा गांधी के साथ इस जुड़ाव की वैधता सिद्ध करने के लिए बेहतर व अधिक आत्मविश्वासी नियोजन की आवश्यकता होगी। ◆

भाषान्तर : पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा

(इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 28 जून, 08 से साभार)

कविता

रोते हुए बच्चे के लिए

रो मत बच्चे
जो आज बादलों ने ढक दिया है आसमान
देखना
अभी तारे चमकेंगे
इतने कि तेरी मुट्ठी में ना समाएं

रो मत बच्चे
जो झर रहे हैं पत्ते
देखना
अभी निकलेंगी छोटी-छोटी कोंपल
जो सुबह की धूप में चमकेंगी
दोपहर को अलसाएंगी
शाम को तेरी तरह सो जाएंगी

रो मत
सहेज ले
इन कुचली जाती हुई
चिड़ियों, तितिलियों, गिलहरियों का भोलापन
कटते हुए गुलमुहरों का रंग
कल इनकी कहानी
तू अपने बच्चे को सुनाना
जैसे मैं सुनाता हूं तुझे
भोर की चक्की
बैलों की घंटी
अलाव के हुक्के की कहानी

रो मत
देख
होश से देख
सिमट रही है तेरी पतंग की डोर
तुझे बचाना होगा इस पतंग को
अपने बच्चे के लिए

मनोज कुमार मीणा